<u>न्यायालयः – सिराज अली, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर</u> <u>जिला –बालाघाट, (म.प्र.)</u>

<u>आप.प्रक.क.—769 / 2005</u> <u>संस्थित दिनांक—10.11.2005</u> <u>फाईलिंग क.234503000142005</u>

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र–बैहर, तहसील–बैहर, जिला–बालाघाट (म.प्र.)

/ / <u>विरूद</u>्ध / /

1—कमलेश शर्मा पिता डी.आर. शर्मा, उम्र—46 वर्ष, निवासी—वार्ड नंबर 24, इन्द्रानगर, बालाघाट, थाना कोतवाली, जिला बालाघाट (म.प्र.)

2—गुड्डु पठान उर्फ अतीक बेग पिता रसूल बेग, उम्र—35 वर्ष, निवासी—वार्ड नंबर—12, बूढी बालाघाट थाना कोतवाली, जिला बालाघाट (म.प्र.)

_ _ _ _ _ _ <u>आरोपीगण</u>

// <u>निर्णय</u> // (आज दिनांक-07/10/2015 को घोषित)

- 1— आरोपी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा—294, 392 के अन्तर्गत यह आरोप है कि उसने दिनांक—27.08.2005 को 10:00 बजे, थाना बैहर अंतर्गत कम्पाउण्डरटोला चौराहा में लोकस्थान पर फरियादी संतोष कुमार को अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे व अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित कर, फरियादी संतोष कुमार की संपत्ति नगदी राशि 200/—रूपये प्राप्त करने के लिए उपहित/सदोष अवरोध में डालकर उद्दपन किया और उससे 200/—रूपये परिदत्त करने के लिए उत्प्रेरित किया।
- 2— संक्षेप में अभियोजन पक्ष का सार इस प्रकार है कि दिनांक—27.08.2005 को फरियादी संतोष पवार ट्रक क्रमांक—सी.जी—07/3218 में चना भरकर नैनपुर से रायपुर ले जा रहा था कि दो आदमी उसके ट्रक के आगे आए और कम्पाउण्डर टोला चौराहा पर उसके ट्रक को रोके और बोला कि मादरचोद ट्रक इतनी तेज चलाता है,

जानता नहीं मैं पुलिसवाला हूं। उसकी पुलिस ड्रेस की नेमप्लेट पर कमलेश शर्मा लिखा था, तब आरोपी कमलेश बोला कि गाड़ी के कागजात दिखाओं तो उसने कागजात दिखाए, तब उसने कहा कि कागजात सही नहीं है, पैसे दे। उसने कहा कि किस बात के पैसे दूं, तो आरोपी कमलेश शर्मा और उसका साथी आरोपी गड्डु पठान उसे डराने धमकाने लगे और कहने लगे कि मादरचोद तेरा ट्रक जप्त कर लेंगे और उससे 200/—रूपये छीनकर आपस में 100/—,100/—रूपये बांट कर जेब में रख लिये और जाते—जाते कहने लगे कि पुलिस थाने गया तो जान से मार देंगे। उक्त घटना की रिपोर्ट फरियादी ने थाना बैहर में की, जिस पर पुलिस द्वारा आरोपीगण के विरुद्ध अपराध क.—101/05, धारा—384, 294, 506, 34 भा.द.वि. का अपराध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। पुलिस द्वारा विवेचना के दौरान जप्ती पंचनामा तैयार कर फरियादी व साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये गये। घटनास्थल का मौकानक्शा तैयार किया गया तथा आरोपीगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा तैयार कर संपूर्ण अनुसंधान उपरान्त उसके विरुद्ध न्यायालय के समक्ष अभियोग पत्र पेश किया।

3— आरोपीगण के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा—294, 392 के अन्तर्गत आरोप पत्र विरचित कर पढ़कर सुनाए व समझाये जाने पर उन्होंने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया। विचारण के दौरान फरियादी संतोष कुमार ने आरोपीगण से राजीनामा कर लिया जिसके फलस्वरूप आरोपीगण के विरूद्ध धारा—294 भारतीय दण्ड संहिता का अपराध शमन किया गया तथा शेष अपराध धारा—392 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत विचारण पूर्ण किया गया। आरोपीगण ने धारा 313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त कथन में स्वयं को निर्दोष होना एवं झूठा फॅसाया जाना व्यक्त किया।

प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि:-

1. क्या आरोपी ने दिनांक—27.08.2005 को 10:00 बजे, थाना बैहर अंतर्गत कम्पाउण्डरटोला चौराहा में फरियादी संतोष कुमार की संपत्ति नगदी राशि 200/—रूपये प्राप्त करने के लिए उपहति/सदोष अवरोध में डालकर उद्दपन किया और उससे 200/—रूपये परिदत्त करने के लिए उत्प्रेरित किया ?

विचारणीय बिन्द् पर सकारण निष्कर्ष :-

- 4— फरियादी संतोष चौहान (अ.सा.3) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि न्यायालय में उपस्थित आरोपीगण को जानता है। घटना वर्ष 2005 की है। उक्त घटना दिनांक को ट्रक में नैनपुर से रायपुर चना भरकर ले जा रहा था। घटना दिनांक को दोनों आरोपीगण उसके पास आए थे और उसकी बिल्टी लेकर चले गए थे। बिल्टी मांगने पर उसे आरोपीगण ने गाली—गलौज की थी, जिसकी रिपोर्ट उसने थाना बैहर में की थी। रिपोर्ट प्रदर्श पी—5 पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर उक्त घटनास्थल का नजरीनक्शा प्रदर्श पी—6 नहीं बनाया था। पुलिस ने उसके समक्ष आरोपी कमलेश शर्मा से कोई जप्ती नहीं की थी। जप्तीपत्रक प्रदर्श पी—1 पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके समक्ष पुलिस ने आरोपी अतीक से कोई जप्ती नहीं की थी, जप्तीपत्रक प्रदर्श पी—2 पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने उसके समक्ष कमलेश को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी—4 बनाया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने उसके समक्ष आरोपी अतीक को गिरफ्तार नहीं किया था। गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी—3 पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे।
- 5— उक्त साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि आरोपीगण ने उसे ट्रक जप्त करने की धमकी देकर 200/—रूपये छीन कर आपस में बांट लिये थे। साक्षी ने उक्त बात अपनी रिपोर्ट प्रदर्श पी—5 में लेख कराने से इंकार किया है। साक्षी ने पुलिस के द्वारा घटनास्थल का नजरीनक्शा प्रदर्श पी—6, जप्तीपत्रक प्रदर्श पी—1 एवं 2 के अनुसार कार्यवाही करने से भी इंकार किया है। इस प्रकार साक्षी ने स्वयं फरियादी होकर भी अभियोजन मामलें का किसी प्रकार से भी समर्थन नहीं किया है।
- 6— महिपाल (अ.सा.1) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी कमलेश को जानता है। उसे घटना के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। आरोपी कमलेश शर्मा से उसके सामने पुलिस ने कोई जप्ती नहीं किया था, किन्तु जप्ती पत्रक प्रदर्श पी—1 पर उसके हस्ताक्षर हैं। आरोपी अतीक बेग से पुलिस ने उसके सामने कुछ जप्ती नहीं किया था, किन्तु जप्तीपत्रक प्रदर्श पी—2 पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने उसके समक्ष आरोपीगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी—3 एवं 4 बनाया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर

हैं। साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उसने आरोपीगण से उसके सामने पैसों की जप्ती पुलिस द्वारा किये जाने से इंकार किया है। इस प्रकार इस महत्वपूर्ण साक्षी के द्वारा भी अभियोजन मामले का अपनी साक्ष्य में किसी प्रकार से समर्थन नहीं किया गया है।

- 7— बी.एस. कुंजाम (अ.सा.२) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि वह वर्तमान में थाना बहर में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ है और थाना बैहर के रोजनामचा रिजस्टर दिनांक—21.08.2005 से दिनांक—07.09.2005 लेकर न्यायालय के आदेशानुसार उपस्थित हुआ है। रोजनामचा सान्हा क्रमांक—1247, दिनांक—26.08.2005 में आरक्षक कमलेश शर्मा क्रमांक—790, रक्षित केन्द्र बालाघाट से इस वक्त एस.डी.ओ.पी. कार्यालय में विभागीय जांच हेतु बैहर में आमद दिया था। आरक्षक की आमद उक्त रोजनामचा सान्हा क्रमांक में दर्ज की गई थी, जिसका मूल रोजनामचा सान्हा प्रदर्श पी—13 है, जिसकी सत्यप्रतिलिपि प्रदर्श पी—3 सी है। आरक्षक कमलेश शर्मा क्रमांक—790 विभागीय जांच उपरान्त रवाना हुआ था, जिसका लेख रोजनामचा सान्हा क्रमांक—1311, दिनांक—27.08.2005 में दर्ज की गई है, जिसकी मूल प्रति प्रदर्श पी—4 है और सत्यप्रतिलिपि प्रदर्श पी—4 सी है, जो तात्कालिक ए.एस.आई. बी.पी. झारिया की हस्तिलिपि है। इस साक्षी ने मामलें में रोजनामचा दर्ज करने के संबंध में समर्थनकारी साक्ष्य पेश की है।
- 8— अभियोजन की ओर से उक्त साक्षीगण के अलावा अन्य किसी साक्षीगण की साक्ष्य नहीं करायी गई है। फरियादी संतोष (अ.सा.3) ने अपनी साक्ष्य में अभियोजन मामले में फरियादी होते हुये भी किसी प्रकार से समर्थन नहीं किया है। महत्वपूर्ण साक्षीगण के द्वारा पक्ष समर्थन के अभाव में आरोपीगण के विरुद्ध आरोपित अपराध के संबंध में अभियोजन मामले में कोई साक्ष्य प्रकट नहीं होती है।
- 9— अभियोजन ने अपना मामला युक्ति—युक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं किया है। अतएव आरोपीगण को भारतीय दण्ड संहिता की धारा—392 के अपराध से दोषमुक्त कर स्वतंत्र किया जाता है।
- 10— आरोपी गुडडु पढान उर्फ अतीक बेग के जमानत एवं मुचलके भार मुक्त किये जाते है।

- 11— प्रकरण में आरोपी गुड्डु पठान उर्फ अतीक बेग दिनांक—01.02.15 से दिनांक—04.06.2015 तक तथा आरोपी कमलेश शर्मा दिनांक—28.05.2015 से दिनांक—07.10. 2015 तक न्यायिक अभिरक्षा में रहा है। उक्त के संबंध में पृथक से धारा—428 द.प्र.सं का प्रमाणपत्र बनाया जावे।
- 12— प्रकरण में जप्तशुदा राशि 200 / —रूपये पर किसी के द्वारा दावा नहीं किया जाने के कारण उक्त राशि अपील अविध पश्चात् राजसात की जावे तथा जप्तशुदा नेमप्लेट अपील अविध पश्चात् मूल्यहीन होने से नष्ट किये जावे अथवा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे ।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(सिराज अली) न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर, जिला–बालाघाट

. 「可. (可. 以. 外 (可用一可) (सिराज अली) न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,